FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी........मुकाम........कोटा........

........प्रयाग देवी........बनाम........रामलाल........

किस्म मुकदमा........88, 188........नं. ....687........सन्........2001........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/7/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने बाबत पेश हुई। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने बाबत पेश कर निवेदन किया है कि उक्त वाद में वादी की मृत्यु काफी समय हो चुका है वादी के द्वारा उक्त वाद में आज दिन तक भी कायम मुकाम नही बनाये गये है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद अबेट हो चुका है। वाद को खारिज फरमाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद अबेट किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने बाबत का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिनी प्रयाग देवी का देहान्त हो चुका है उक्त वाद गुड्डू पुत्र विश्वम्भरनाथ दीक्षित की देखरेख में था, तथा गुड्डू पुत्र विश्वम्भरनाथ का भी देहान्त हो चुका है जिस कारण उक्त वाद वादी के अन्य कायममुकामान कृष्ण कुमार पुत्र विश्वम्भरनाथ को उक्त वाद की जानकारी नही हो पाई इसलिये उक्त वाद में वादिनी के कायममुकामान नही बनाये जा सकते। इसलिये उक्त वाद के संस्थित होने की जानकारी नही होने के कारण कायममुकामान नही बनाये जा सके। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे। प्रार्थना पंत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने बाबत नियत की गई। प्रतिवादी की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने बाबत पर बहस नही की गई। तत्पश्चात पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने बाबत नियत की गई। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने बाबत का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी का मुख्य कथन यह रहा है कि वादीनी की मृत्यु हुय क़ाफी समय हो चुका है परन्तु वाद में आज दिन तक भी कायममुकामान नही बनाये गये है ऐसी स्थिति में वादी का वाद अबेट हो चुका है। प्रतिवादी के उक्त कथन का खण्डन करते हुये वादी की ओर से जवाब में कथन किया है कि वादिनी प्रयाग देवी का देहान्त हो चुका है उक्त वाद गुड्डू पुत्र विश्वम्भरनाथ दीक्षित की देखरेख में था, तथा गुड्डू पुत्र विश्वम्भरनाथ का भी देहान्त हो चुका है जिस कारण उक्त वाद वादी के अन्य कायममुकामान कृष्ण कुमार पुत्र विश्वम्भरनाथ को उक्त वाद की जानकारी नही हो पाई इसलिये उक्त वाद में वादिनी के कायममुकामान नही बनाये जा सके। परन्तु हम वादी के उक्त कथन से सहमत नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत कायममुकामान बनाये जाने के साथ वादी की ओर से वादिनी प्रयाग देवी का ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और ना ही प्रार्थना पत्र वादिनी प्रयाग देवी की मृत्यु दिनांक अंकित की गई है। इसके अलावा वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत कायममुकामान बनाये जाने के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

पेश नही किया गया है जिस कारण यह दर्शित होता है कि वादी हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही के प्रति गंभीर नही है और ना ही वादी की ओर से हस्तगत प्रकरण में विधिक प्रकिया का पालन किया जा रहा है। अतः हम प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने स्वीकार किया जाना उचित पाते है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर वादी का वाद पत्र अबेट किया जाता है। प्रकरण अबेट होने से हस्तगत वाद पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 14/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा